

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भगरूप या इस बारे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

(मैनुअल-8)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिम रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाष 0135 2662971/फैक्स 2662334

पत्रांक : 220/सू.एवंलो.स.वि. (प्रेस)-08/2008

देहरादून दिनांक 29 अप्रैल, 2021


कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन (सूचना अनुभाग-2) के शारानादेश संख्या 163/XXII/2015-53 (यू.नो.) 2002 दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या 276/XXII/16-53 (यू.नो.) 2002 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पत्रकार कल्याण कोष/उत्तराखण्ड क्याम्ब्रिज पत्रकार पत्रिका के संचालन हेतु निर्धारित समिति के कालम-3 में उल्लिखित पत्रकार संगठनों के सदस्यों का गैर सरकारी सदस्य के रूप में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	पत्रकार संगठन का नाम	प्रतिनिधि का नाम
01	उत्तराखण्ड पत्रकार महासंघ देहरादून	शुश्री बीना उपाध्याय
02	श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, देहरादून	श्री रमेश फाडी
03	जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	श्री योगेश भट्ट
04	नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हरिद्वार	श्री त्रिलोक चन्द्र भट्ट


उक्त गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष होगा। बैठक के दौरान उक्त सदस्यों को समूह "ख" के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य यात्रा एवं दैनिक भत्ते देय होंगे। समिति के सदस्यों का कार्यक्षेत्र एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें नियमावली के अधीन होंगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।


(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या : 220 /सू.एवंलो.स.वि.(प्रेस)-08/2008 तददिनांकित
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित सदस्यों को।
4. विभाग के समस्त अधिकारियों को।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. लेखा प्रभाग, सूचना विभाग।
7. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।


(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

